

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1 **परियोजना विवरण :-**

i. **अपेक्षित वनभूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।**

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बालोद जिला के बालोद वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत डौंडी एवं डौंडीलोहारा ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 4.824 हे. वनभूमि एवं 0.251 हे. राजस्व वनभूमि, कुल वनभूमि रकबा 5.075 हे. वनभूमि की आवश्यकता है। उपरोक्त केबल रूट की 0.50 मीटर चौड़ाई पर 1.65 मीटर की गहराई पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना है।

ii. **1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।**

संलग्न है।

iii. **परियोजना की लागत।**

76 करोड़ 89 लाख

iv. **वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।**

राजनांदगांव जिला के खैरागढ़ वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत डोंगरगढ़, छुईखदान एवं खैरागढ़ ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्रामवासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होंगे।

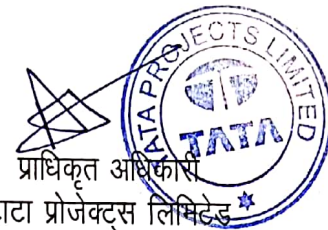
v. **लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)**

आवश्यकता नहीं है।

vi. **रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।**

आवश्यकता अनुसार।

- 2 कुल अपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण।
 बालोद वनमंडल -5.075 हैं.
 आरक्षित वन 3.599 हैं.
 संरक्षित वन 1.225 हैं.
 राजस्व वन 0.251 हैं.
- 3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।
 निरंक
- i. परिवार की संख्या।
 निरंक
- ii. अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।
 निरंक
- iii. पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)
 निरंक
- 4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ?
 (हां/नहीं)
 नहीं है।
- 5 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)
 आवश्यकता नहीं है।
- 6 निर्देशो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजो का ब्यौरा।
 चेकलिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न है।



प्राधिकृत अधिकारी
 टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 वास्ते - अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)
 छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
 रायपुर छत्तीसगढ़